

कार्यवृत्त
शुक्रवार, 10 चैत्र, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 23 मार्च, 2018)

खण्ड-50
अंक-4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष, मा० सदस्य, श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज रावत की संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नववर्ष पंचांग में राष्ट्रीय स्वयं संघ की विभूतियों के नाम एवं जन्म दिवस अंकित किये जाने विषयक नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। मा० सदस्य काजी मौ० निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश तथा श्री आदेश चौहान प्रदेश में गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। इस पर श्री अध्यक्ष जी ने कहा कि उक्त सूचनाओं को नियम-58 की ग्राह्यता पर सुन लेंगे। विपक्ष के मा० सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि ये विषय नियम-310 की परिधि में नहीं आते हैं। विपक्ष के मा० सदस्य जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। इस पर श्री अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि वे 310 की दोनों सूचनाओं को नियम-58 में परिवर्तित करते हुए ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

मा० सदस्य काजी मौ० निजामुद्दीन ने उत्तराखण्ड विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-299 के अन्तर्गत सूचना दी कि नियमानुसार वर्ष में 60 उपवेशनों की व्यवस्था है, जिसके सापेक्ष विधान सभा के केवल 13 दिन के उपवेशन होना जनहित में चिन्ता का विषय है। नियम-299 की मा० सदस्य काजी मौ० निजामुद्दीन द्वारा प्रस्तुत इस सूचना पर मा० संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त प्रकरण पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 20 सूचनार्यें प्राप्त हुई हैं वे इनमें से 07 सूचनार्यें स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

1. श्री खजान दास जनपद देहरादून के राजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मन्नुगंज नाले का निर्माण पूर्ण न होने के सम्बन्ध में।
2. श्री गोपाल सिंह रावत गंगोत्री-गौमुख-तपोवन से आगे ट्रैक मार्गों पर जाने वाले साहसिक पयारोहियों के लिये ट्रैक रूट क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)
3. श्री महेन्द्र भट्ट जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के ग्राम कलगोठ के पांणतली ग्वाड़ तोक के 154 परिवारों के विस्थापन के सम्बन्ध में। (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना विश्व बैंक पोषित मोटर मार्गों का निर्माण कार्य मानकानुसार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री राजेश शुक्ला विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत प० गोविन्द बल्लभ पंत कृषि (पढ़ी हुई मानी गयी) विद्यालय पंतनगर तथा हल्दी स्थित उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम के कर्मचारियों एवं ठेका कर्मियों को वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री बंशीधर भगत जमरानी क्षेत्र में खनन के पट्टे दिये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
7. श्री हरीश सिंह विधान सभा क्षेत्र धारचूला में राजकीय इण्टर कालेज नाचनी, मुन्स्यारी, जौलजीवी एवं पय्यापौड़ी के भवनों के जीर्ण शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में। (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

12 बजकर 30 मिनट पर मा० उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में शेरपुर-श्यामपुर ग्राम तक लिंक रोड निर्माण के सम्बन्ध में” श्री पंकज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, ग्राम व पो० शेरपुर खेलमऊ, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कमेलपुर में चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में” श्री अनुज कुमार पुत्र श्री पप्पु सिंह, ग्राम व पो० कमेलपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम इब्राहिमपुर में मैन रोड सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री रवि सैनी पुत्र श्री रघुवीर सिंह, ग्राम व पो० इब्राहिमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम माधोपुर में नेशनल हाईवे पर रोड कॉस करने के लिए ऑवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज निर्माण के सम्बन्ध में” श्री तालीब पुत्र श्री इखरार, ग्राम माधोपुर पो० सालियर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम बुढ़पुर चौहान में भरतपुर-लाठरदेवा तक लिंक रोड निर्माण के सम्बन्ध में” श्री जोगेन्द्र पुत्र श्री सगवा, ग्राम बुढ़पुर चौहान, पो० झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम नगला कुबड़ा में सी०सी० रोड निर्माण के सम्बन्ध में” श्री अमित पुत्र श्री मदन, ग्राम नगला कुबड़ा, पो० इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम नूरपुर बूढपुर में शमशान घाट की चारदीवारी के सम्बन्ध में” श्री विश्वास पुत्र श्री करता राम, ग्राम नूरपुर पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हरजौली झोड़ा में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” मौ. सालीम पुत्र मौ0 इमरान, ग्राम हरजौली झोड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हरजौली झोड़ा में हैन्ड पम्प निर्माण के सम्बन्ध में” मौ. खालीद पुत्र मौ0 यासीन, ग्राम हरजौली झोड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम दहियाकी में नेशनल होईवे पर रोड कॉस के लिए ऑवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री बलराम, ग्राम दहियाकी, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम नजरपुरा में अम्बेदकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री कंवर पाल पुत्र श्री पाल सिंह, ग्राम नजरपुरा, पो0 मंगलौर, तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम खाताखेड़ी में रविदास मंदिर की चारदीवारी के सम्बन्ध में” श्री सुनील पुत्र श्री कली राम, ग्राम खाताखेड़ी, पो0 झबरेड़ा, तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम डेलना में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रमेश सिंह, ग्राम डेलना, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के बडौन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में” श्री जगत सिंह बोहरा पुत्र श्री हरक सिंह, ग्राम बडौन, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल शहर में बाहर से आने वाले पर्यटकों के वाहन खड़े करने हेतु पार्किंग बनवाये जाने के सम्बन्ध में” श्री देवेन्द्र फर्त्याल पुत्र श्री अमर सिंह, नगर भीमताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के राजकीय इण्टर कालेज, पदमपुर मीडार के जीर्ण-क्षीर्ण भवनों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री जगन नाथ जोशी पुत्र श्री ईश्वरी दत्त, ग्राम-पदमपुर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अमृतपुर-जमरानी अमिया मोटर मार्ग के डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री सन्तोष शर्मा पुत्र श्री अर्जुन शर्मा, ग्राम-बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय, पदमपुरी, भीमताल, ओखलकाण्डा में एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड मशीनें, पैथोलॉजी लैब तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री शिव सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम-मटेला (ओखलकाण्डा), जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के राजकीय इण्टर कालेज, पदमपुर मिड़ार, ओखलकाण्डा में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री जीवन चन्द्र पुत्र श्री ईश्वरी दत्त, ग्राम-पदमपुर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के रिखाकोट (ओखलकाण्डा) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जीर्ण-क्षीर्ण भवन का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री हरीश नैथानी पुत्र श्री कृष्ण सिंह, ग्राम-रिखाकोट (ओखलकाण्डा), जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के नौकुचियाताल में पर्यटन के लिये मशहूर झील को मत्स्य विभाग द्वारा मछली मारने हेतु प्रारम्भ की जा रही टैंडर प्रक्रिया को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में” श्री अनिल चनौतिया पुत्र श्री इन्द्र सिंह, ग्राम-नौकुचियाताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ग्राम-बानना लमजाला से राजकीय इण्टर कालेज, बानना तक बने मोटर मार्ग पर ग्रामीणों की कटी नाप भूमि का मुवावजा ग्रामीणों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में” श्री मोहन पलेड़िया पुत्र श्री नारायण दत्त, ग्राम-बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत प्रा० पाठशाला, सुरंग में पेयजल व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री करन बोरा पुत्र श्री रमेश बोरा, ग्राम-सुरंग, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के खनस्यू तहसील भवन निर्माण व अन्य स्टॉफ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री प्रेम बल्लभ, ग्राम खनस्यू, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल सहित प्रदेश के युवाओं को सिडकुल में नौकरी में 70 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में” श्री प्रकाश थुवाल पुत्र श्री हरीश थुवाल, ग्राम खनस्यू, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा० प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम झनकट में मुख्य मार्ग से कुन्दन सिंह पोखरिया एवं देव सिंह के घर की ओर 1.50 कि०मी० कच्ची सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री राजनाथ सिंह पुत्र श्री गौरी सिंह, ग्राम-पहेनिया, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम ऊंचीमहवट में गांव होते मेलाघाट रोड की ओर 5 किमी० कच्ची सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री ललित विष्ट पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्राम-ऊंचीमहवट, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड सितारगंज के अन्तर्गत साधूनगर-सिडकुल, सितारगंज मार्ग को जोड़ने हेतु कैलाश नदी में पुल निर्माण के सम्बन्ध में” श्री हरबंश सिंह पुत्र श्री भगीरथ सिंह, ग्राम-साधूनगर, सितारगंज, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम बिरिया भूड़ से लालफार्म होते हुए सिसईखेड़ा तक 8 किमी० मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री दीप चन्द्र राणा पुत्र श्री गरवू सिंह, ग्राम-ऐंजनिया, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता में ग्राम बलखेड़ा, नवीननगर, आनन्द नगर से सुन्दर नगर, खमरिया की ओर 8 किमी० मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री लाल सिंह पुत्र श्री स्व० त्रिलोक सिंह, ग्राम-खमरिया, नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता जिला ऊधमसिंहनगर विकासखण्ड सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम ऐंचता, बिही, गिधौर व ज्ञानपुर गौड़ी की 10 कि०मी० मोटर निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बांधू सिंह पुत्र श्री दान सिंह, ग्राम बिही गिधौर नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता जिला ऊधमसिंहनगर के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत मुदेली चौराहे से नौगवाठगू-चंदोली-पुरनापुर-बानूसी होते हुए इनकट मैदा मिल तक 12 कि०मी०मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बालकिशन राणा पुत्र श्री पजन सिंह, ग्राम-चंदोली, नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता जिला ऊधमसिंहनगर के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम बानूसी में गुरुद्वारा से पहेनिया की ओर 2.50 कि०मी०मोटर मार्ग के सम्बन्ध में” श्री राजनाथ सिंह पुत्र श्री गौरी सिंह, ग्राम-पहेनिया, नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता में बहुउद्देशीय थारु जनजाति विकास भवन निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सुरजन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, ग्राम-लामखेड़ा, नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड सितारगंज के अन्तर्गत कर्घटा चौराहे से सैजनी की ओर 03 कि०मी० मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, ग्राम-सैजनी नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत कंजाबाग उमरुखुर्द और अमाऊ के मध्य पड़ने वाले खकरा नाले में पुल निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री भजन लाल, ग्राम-उमरुखुर्द, नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत उमरुखुर्द बिगराबाग मुख्य मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय से सैनिक कालोनी होते हुए बलवन्त खड़ायत के घर तक 2.0 कि०मी० मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री मनोज चुफाल पुत्र श्री नारायण सिंह, ग्राम-कंजाबाग उमरुखुर्द नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत कंजाबाग चौराहे से बिगराबाग की ओर पुल तक 2.0 कि०मी० मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री मनोज चुफाल पुत्र श्री नारायण सिंह, ग्राम-कंजाबाग उमरुखुर्द नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम सैजना से पटपुरा की ओर तथा जसारी की ओर 08 कि०मी० कच्ची सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में” देवकी देवी पुत्र श्री सतपाल सिंह, ग्राम-पटपुरा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भूड़ महोलिया में 1.50 कि०मी० कच्ची सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री भुवन जोशी पुत्र गोविन्द बल्लभ जोशी, ग्राम-भूड़ महोलिया, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली स्थित ग्राम पंचायत दरमोला एवं स्वीली में पेयजल संकट के सम्बन्ध में” श्री लक्ष्मी प्रसाद डिमरी, ग्राम-स्वीली, पोस्ट माई की मढ़ी, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के काण्डाई में स्वीकृत पशुचिकित्सालय के लिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण ग्राम पंचायत चौथला के ग्राम बाड़ा में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में” श्री विक्रम सिंह कण्डारी, ग्राम-खांकर, पोस्ट नरकोटा, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे/ऑल वेदर रोड़ निर्माण के कारण बेरोजगार हो रहे व्यवसायियों/दुकानदारों के सम्बन्ध में” श्री दीपक सिलाड़ी, ग्राम व पोस्ट नरकोटा, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-माधोपुर में पंचायत घर/धर्मशाला के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री करता राम ग्राम माधोपुर, पो0 सालियर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-माधोपुर में कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में” श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री करता राम ग्राम माधोपुर, पो0 सालियर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सफरपुर की आन्तरिक गलियों के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कामेश कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह ग्राम व पो0 सफरपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-माधोपुर में रा0प्रा0वि0 की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में” श्री प्रकाश पुत्र श्री चैतराम, ग्राम माधोपुर, पो0 सालियर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-शाहपुर साल्हापुर में शमशान घाट की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में” श्री नरेश पुत्र श्री जयपाल, ग्राम शाहपुर साल्हापुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-लोदीवाला में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री मामचन्द्र, ग्राम लोदीवाल, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-नूरपुर बूढपुर में झबरेड़ा-मंगलोर मार्ग से जाट बस्ती तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री विश्वास पुत्र श्री करता राम, ग्राम नूरपुर, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-ताहपुर में सलेमपुर से इकबालपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री दिलशाद पुत्र श्री निसार ग्राम ताहरपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने पीठ से सूचित किया कि सतत् विकास संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास घोषणा- 2000 द्वारा प्रतिपादित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अनुक्रम में लक्षित किये गये सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति भारत समर्पित है। इस विषय को चर्चा हेतु दिनांक 24 मार्च, 2018 की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यपालिका द्वारा अंगीकृत की जा रही नीतियों, क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं परियोजनाओं तथा किये जा रहे प्रयासों की प्रभावी समीक्षा अनुशीलन, अनुश्रवण तथा अनुषंगिक विषयों हेतु विधान सभा की एक सात सदस्यीय सतत् विकास लक्ष्यों सम्बन्धी समिति का गठन किया जाये।

यह भी प्रस्ताव है कि यह सदन उक्त समिति में सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु मा0 अध्यक्ष विधान सभा को अधिकृत करता है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आवास मंत्री ने “उत्तराखण्ड (30प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965) (संशोधन), विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

आवास मंत्री ने “उत्तराखण्ड (30प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965) (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

मा० उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 में कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई वे सभी सूचनाओं को नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नववर्ष पंचांग में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की विभूतियों के नाम एवं जन्म दिवस अंकित किये जाने तथा प्रदेश में गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-310 की नियम-58 में परिवर्तित सूचना को मा० नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्राथमिकता के आधार अनुरोध किया। तत्पश्चात संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड द्वारा नववर्ष पंचांग में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की विभूतियों के नाम एवं जन्म दिवस अंकित किये जाने विषयक प्रकरण पर मा० सदस्य श्री प्रीतम सिंह तथा

01 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठसीन हुए।

मा० नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। मा० संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण से संतुष्ट न होने पर विपक्ष के सभी मा० सदस्य जोर-जोर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

राज्य में मिट्टी तेल आवंटन का कोटा जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। मा० संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में स्वीकृत बस अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। मा० परिवहन मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड में वर्ग-3 और 4 के पट्टों के नियमितीकरण की भांति पहाड़ों में हरियाली पट्टों की भूमि का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये। मा० संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के राजकीय कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार भत्तों का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये। मा० संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री हरीश सिंह तथा श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। मा० संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि मा० सदस्य श्री मनोज रावत द्वारा उल्लिखित स्थानों पर हो रहे अवैध खनन का परीक्षण करा लें। तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-310 की नियम-58 में परिवर्तित सूचना पर मा० सदस्य काजी मौ० निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये। मा० संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण से संतुष्ट न होने पर मा० सदस्य काजी मौ० निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री फुरकान अहमद ने सदन का बहिर्गमन किया।

02 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर मा0 सदस्य श्री राजकुमार के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई। निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री धन सिंह
2. श्री बंशीधर भगत
3. श्री विनोद कण्डारी
4. श्रीमती ममता राकेश
5. श्रीमती रीतू खण्डूड़ी
6. श्री प्रीतम सिंह पवार
7. श्री मुकेश कोली
8. श्रीमती मीना गंगोला
9. श्री फुरकान अहमद
10. श्री महेश नेगी
11. श्री सुरेश राठौर
12. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
13. श्री केदार सिंह रावत
14. श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल
15. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
16. श्री भरत सिंह चौधरी
17. श्री आदेश सिंह चौहान
18. श्री बिशन सिंह चुफाल
19. श्री देशराज कर्णवाल
20. श्री गणेश जोशी
21. श्री मनोज रावत

05 बजकर 03 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठसीन हुए।

22. श्री प्रीतम सिंह

05 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठसीन हुए।

मा0 नेता सदन ने उक्त प्रस्ताव पर विचार व्यक्त किये।

विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 को प्रस्तुत राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान ने धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन का आभार व्यक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का आय- व्ययक पर चर्चा मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण से आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आय-व्ययक पर चर्चा जारी रहेगी।

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण:-

1. श्री देशराज कर्णवाल,

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियों की जाय”।

2. श्री धन सिंह नेगी

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुर्नगठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय”।

3. काजी मौ० निजामुद्दीन,

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायधीश से कराई जाय”।
(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

4. श्री नवीन चन्द्र दुम्का

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे हैं, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय”।

5. श्रीमती ममता राकेश,

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय”।

नियम-105 के अन्तर्गत श्री देशराज कर्णवाल, मा० सदस्य विधान सभा ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।”

नियम-105 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा० सदस्य विधान सभा ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।”

नियम-105 के अन्तर्गत श्रीमती ममता राकेश, मा० सदस्य विधान सभा ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी०डी० इंटर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 में कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :-

मा0 सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना, जो जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी पाठशाला खेतार की क्षतिग्रस्त व जीर्ण - शीर्ण छत के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में है, को नियम- 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री चनदन राम दास की सूचना, जो प्रदेश में 18 मीटर तक पुलों के निर्माण के लिये कार्यदायी संस्था को अधिग्रहित न किये जाने से ग्रामीण क्षेत्र के पुलों का निर्माण अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में है, को नियम- 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने व रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राठौर, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2018 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकास खण्ड धारी में लम्बित देवनगर पलड़ा पेयजल योजना के सम्बन्ध में है, श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2018 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 06 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।